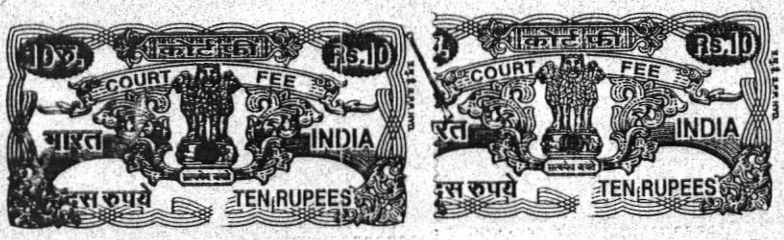

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2017/4174 पुनरीक्षण याचिका कमांक................/2014

श्री पन्नालाल आत्मज श्री केशो, आयु–86 वर्ष,
निवासी–ग्राम–नरोन्हा सांकल,
तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) ....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. श्री काशीराम आत्मज स्व. श्री पिरथी, आयु–वयस्क,
2. श्री प्रेम सिंह आत्मज स्व. श्री पिरथी, आयु–वयस्क,
3. भूरी बाई आत्मज स्व. श्री पिरथी, आयु–वयस्क,
4. गंजी बाई पुत्री स्व. श्री पिरथी, आयु–वयस्क,
5. गेंदा बाई पुत्री स्व. श्री पिरथी, आयु–वयस्क,

सभी निवासीगण– ग्राम–नरोन्हा सांकल,
तहसील–हुजूर, जिला–भोपाल (म.प्र.) ....अनावेदकगण/उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के अपील कमांक–495/अपील/2015–16 में पारित आलोच्यपूर्ण आदेश दिनांक 21/09/2017 एवं श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला–भोपाल(म.प्र.) के द्वारा एकपक्षीय **राजस्व अपील कमांक–04/अपील/2015–16 में पारित आलोच्य पूर्ण आदेश दिनांक 30/03/2016** से दुखित होकर निम्नानुसार पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यो एवं वैधानिक आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है:–

पी०आर०/निग/कोर्ट/उ.सं./2017/5174

2.11.2017

आवेदक की ओर से श्री दिनेश सिंह चौहान अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अपर आयुक्त के

आदेश दिनांक 21.9.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के द्वारा अत्यन्त संक्षिप्त आदेश पारित किया गया है, जबकि सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करना चाहिये था। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21.9.2017 निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे उभय पक्ष को सुनकर सकारण बोलता हुआ आदेश पारित करें।

अध्यक्ष

2/11/2017